न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 47/2015
पंजीयन दिनांकः 27.08.2015

1. मांगीलाल पिता नाथु जाति धाकड़ निवासी माधुपुर तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. विमला देवी पत्नि रोशनलाल जाति धाकड़ निवासी नरसिंहपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. शांतिबाई पत्नि मोडा जाति धाकड़ निवासी मुरोली तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
4. नटवरलाल पिता प्यारचंद जाति धाकड़ निवासी माधुपुर तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टगण

बनाम

श्रीमती फोरी बाई पत्नि शंभुलाल जाति धाकड निवासी नयागांव माधुपुर तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ प्रकरण संख्या 120/2015 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.07.15

उपस्थित वक्त बहसः 1. सत्यनारायण ईनाणी – अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 28.06.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा माधोपुर की खाता सं. 78 मे आराजी नम्बर 155,264,270,271,274,275 आराजी नम्बर 276,724,283 मीन कुल किता 7 कुल रकबा 2.06 हैक्टेयर व खाता सं. 13 मे दर्ज आराजी नम्बर 88,89,90,91,92 आराजी नम्बर 93,94,95,96,100 कुल किता 10 कुल रकबा 2.45 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जो रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया व अपीलान्ट विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी की होकर खातेदार है। यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट सं. 1 के कोई जायन्दा संतान नही होकर 3 पुत्रियां शांतिदेवी रेस्पोडेन्ट व विमला विधिक वारिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

6। विवादित कृषि आराजीयात अपीलान्ट सं. 1 की पुश्तैनी उनकी बाप-दादाओ की सम्पत्ति है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया अपीलान्ट मांगीलाल की जायन्दा पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट सं. 1 की चल व अचल सम्पत्ति पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया जायन्दा पुत्री होने से उसका भी अधिकार है। अपीलान्ट सं. 1 विपक्षी रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया के 1/4 हक हिस्सा निहित होकर कानूनन प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादपत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात का विधिवत बंटवाडा नही हुआ है फिर भी अपीलान्ट सं. 1 अपने खातेदारी की आराजीयात को सम्पूर्ण हक व हिस्से को बिना किसी विशेष परिस्थितियो के अभाव मे विक्रय कर खुर्द-बुर्द करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात का अपीलान्टगण के मध्य आपसी तौर पर बंटवाडा हो चुका है। प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट एवं अपीलान्टगण अपने-अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। उक्त हक हिस्से अनुसार रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया का मौके पर कब्जे अनुसार अपने नाम पर खतोदारी की घोषणा कराने की अधिकारिणी है।

उक्त आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.06.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण अपीलान्टगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये । अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण विपक्षीगण की दिनांक 27.07.2015 तक कोई तामील नही हुई। उक्त दिनांक से पूर्व उक्त पत्रावली को दिनांक 24.07.2015 को लोक अदालत मे नियत की जाकर रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया व अपीलान्टगण को विवादित कृषि आराजीयात का सहखातेदार होना मानते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे अपीलान्टगण के विरूद्ध बिना किसी राजीनामे के अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निर्णय व आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश जो अपीलान्टगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की। इस न्यायालय मे अपीलान्टगण विपक्षीगण 1 से 4 की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण विपक्षीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर स्वीकार किया है। अपील व बहस मे यह भी निवेदन किया कि अपीलान्टगण विपक्षीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे तामील भी नही हुई थी। बिना तामील के व बिना लोक अदालत की सूचना के प्रकरण को लोक

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अदालत मे नियत किया गया। लोक अदालत मे अपीलान्टगण न तो उपस्थित हुए न ही अपनी ओर से किसी प्रकार का राजीनामा लिखित मे प्रस्तुत किया गया। फिर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित कर अपीलान्टगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। जिससे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट विपक्षीगण की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तामील हेतु विचाराधीन थी। अपीलान्टगण विपक्षीगण की बिना तामील हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा नियत की गई तारीख पेशी से पूर्व उक्त पत्रावली को लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के निर्णय पारित किया गया है। लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है जिसमे उभयपक्ष उपस्थित होकर लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण चाहते हो। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपरिपक्व पत्रावली मे तारीख पेशी से पूर्व ही पत्रावली को बिना पक्षकार को सूचित किये लोक अदालत मे नियत की गई। बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है जिससे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता का अवहरण कर निर्णय व आदेश पारित किया जाना पाया जाने से अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश न्यायोचित नही होकर अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ प्रकरण संख्या 120/2015 निर्णय व आदेश दिनांक 24.07.2015 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़